

प्रेस नोट-
थाना एरच, झाँसी

दिनांक 29.08.2025

- झाँसी पुलिस द्वारा अपराधों की रोकथाम एवं अवैध देशी शराब के विरुद्ध की जा सख्त कार्यवाही,
- 90 पाउच अवैध देशी शराब रसभरी मार्का प्रत्येक 200 मिली० कुल 18 लीटर अवैध देशी शराब के साथ अभियुक्त गिरफ्तार,

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, झाँसी परिक्षेत्र, झाँसी श्री केशव कुमार चौधरी के कुशल मार्गदर्शन व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झाँसी श्री बीबीजीटीएस मूर्ति के कुशल निर्देशन में जनपद झाँसी में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध देशी शराब के विरुद्ध की जा रही प्रभावी कार्यवाही के क्रम में आज दिनांक 29.08.2025 थाना एरच पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर कोरिडोर लभेरा जाने वाले कट के पास सड़क के किनारे ईंटों की आड़, ग्राम लभेरा, एरच से अभियुक्त रानू ठाकुर उर्फ राजा भोज पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी टीचर्स कॉलोनी गुरसरांय थाना गुरसराय जिला झाँसी उम्र करीब 32 वर्ष को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 90 पाउच अवैध देशी शराब रसभरी मार्का प्रत्येक 200 मिली० कुल 18 लीटर अवध देशी शराब बरामद हुई। उक्त बरामदगी के सम्बन्ध में अभियुक्त के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु०अ०सं० 100/2025 धारा 60(1) का अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता:- रानू ठाकुर उर्फ राजा भोज पुत्र राजेन्द्र सिंह निवासी टीचर्स कॉलोनी गुरसरांय थाना गुरसराय जिला झाँसी उम्र करीब 32 वर्ष

बरामदगी:- 90 पाउच अवैध देशी शराब रसभरी मार्का प्रत्येक 200 मिली०, कुल 18 लीटर अवध देशी शराब

गिरफ्तार करने वाली टीम –

1. उ०नि० श्री रामबहादुर सिंह, थाना एरच, जनपद झाँसी
2. का० 389 नितिन कुमार, थाना एरच, जनपद झाँसी
3. का० 158 अंकित दीक्षित, थाना एरच, जनपद झाँसी